अवर सचिव
UNDER SECRETARY

सत्यमेव जयते

उपराष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT SECRETARIAT
नई दिल्ली / NEW DELHI-110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/40/2023-2024 **1 सितम्बर, 2023**

सेवा में,

श्री लधू राम तोषनीवाल
राधा कृष्ण मंदिर के पास,
जाटा वास, महामंदिर, जोधपुर
राजस्थान-342006

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अपील की सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक -- का पत्र इस सचिवालय 30.08.2023 में प्राप्त हुआ है, जिसके साथ दस रूपये का पो॰आ॰सं॰ 61एफ़ 955770 संलग्न कर अपने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005, के अंतर्गत बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करने हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है। इस कारण यह सचिवालय आपको किसी भी प्रकार कि जानकारी/सूचना दे पाने में असमर्थ है।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)

rticell-vps@nic.in

RTI No. 40

Vice President's Secretariat
Dy. No. 304
Date 30/8/23
New Delhi

नवजीवन प्रिन्टर्स, उदयपुर ✆ 0294–2420598/1000/07/2023

सूचना लेने हेतु आवेदन–पत्र

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, की धारा (6)(1) के अन्तर्गत)

1. आवेदक का नाम .... लादूराम तोषनीवाल
2. पूरा पता/ईमेल/फेक्स जिस पर जानकारी अंकित की जानी है .... द्वारा कमलेश पीठीला एडवोकेट 158-2 ब्लाक इन्दिरा नगर से० 14 उदयपुर (राज)
3. फोन नम्बर 9413745077
4. आवेदन देने की दिनांक 20/08/2023.
5. कार्यालय का नाम श्रीमान् उपराष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली

महोदय,

6. निवेदन है कि प्रार्थी को निम्न सूचना उपलब्ध करवाने का श्रम करावें :–

क्र.सं.	सूचना का विवरण
1.	वर्ष 2006 विनियम 2011 के अनुसार मानवीय उपभोग के लिये साधारण नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध जो सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार के अधिनियम द्वारा लगाया गया है के कारण एवं प्रतिबन्ध के पश्चात इस पर आगे की कार्यवाही का विवरण
2.	1984 में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की किन सिफारिशो के आधार पर खाद्य नमक को आयोडीन युक्त नमक आवश्यक किया गया।
3.	भारत देश मे आयोडिन युक्त नमक बिकने के लिये आवश्यक मानक तथा मानको की पालना नही किये जाने पर किन किन कम्पनियो पर शास्ति प्रदत्त की गई।
4.	खाद्य नमक पर प्रतिबन्ध के पश्चात खेतिहरो एवं खुदरा व्यापारियो को क्या राहत दी गई सरकारो द्वारा और भविष्य मे क्या दी जावेगी।

7. क्या चाहते है नकल / निरीक्षण / रिकार्ड का निरीक्षण / रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना।
8. आवेदन के साथ अदा की जाने वाली प्रोसेस फीस 10/–रू. नकद/पोस्टल ऑर्डर (बी.पी.एल. के लागू नहीं) रसीद क्रमांक व दिनांक 20/8/2023 61F 951870
9. क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे है अथवा नहीं हाँ / नहीं । यदि हाँ तो बी. पी. एल. सूची का अनुक्रमांक............/....................ग्राम पंचायत......................पं.स...........जिला...................

प्रार्थी 85 वर्षीय वृद्ध (सीनियर सिटीजन) व्यक्ति है।

लादूराम तोषनीवाल

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

30/08/2023

प्राप्ति रसीद

1. आवेदन प्राप्त होने की दिनांक..
2. आवेदक को वांछित जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने की दिनांक..
3. सम्बन्धित शाखा/अधिकारी जहाँ से जानकारी उपलब्ध होगी..

दिनांक..

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

(लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत पद नाम रबर सील सहित)

स्थान..

12

(आई डी डी एवं पोषण प्रकोष्ठ)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 13 2. 2014

सेवा में,

श्री लाधू राम तोषनीवाल
राधा कृष्ण मंदिर के पास
जाटा वास, महामंदिर, जोधपुर
राजस्थान -342006

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जानकारी।

महोदय,

आपके दिनांक 21-1-2014 के सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत आवेदन के सन्दर्भ में बिन्दुवार सूचना निम्नलिखित है।

भाग (ग) :- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा किए सर्वेक्षण के आधार पर पाया गया है कि कोई भी राज्य घेंघा/आयोडीन अल्पता विकार से मुक्त नही है। 1984 मे केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सम्पूर्ण खाद्य नमक को आयोडीन युक्त करने का नीतिगत निर्णय लिया।

साबुत नमक को पीस कर खाने से शरीर एंव स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का विपरित प्रभाव नही पड़ता। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार के अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अनुसार सीधे मानवीय उपभोग के लिए साधारण नमक की बिक्री पर प्रतिबंध है, परन्तु साधारण नमक, आयोडीनकरण, औषधि, जानवरों के उपयोग, परिरक्षण, उद्योगों में उपयोग के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं।

बिन्दु (1) व (3) : आयोडीन नमक में आयोडीन की मात्रा उत्पादन स्तर पर 30 पी पी एम एंव उपभोक्ता स्तर पर 15 पी पी एम होना चाहिए।

बिन्दु (2) : आयोडीन युक्त नमक की गुणवता के लिए आयोडीन युक्त नमक बेचने वालों के सैम्पल राज्य या केन्द्र शाषित प्रदेशों में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के विभाग के अन्तर्गत है जो समय-समय पर नमक के सैम्पल लेते हैं।

बिन्दु (4) व (5) : आयोडीन एक आवश्यक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए प्रतिदिन 100 -150 माईक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है, शरीर आयोडीन की प्रर्याप्त मात्रा मिलने पर अतिरिक्त मात्रा को अवशोषित नही करता तथा अतिरिक्त मात्रा पेशाब के रास्ते शरीर से उत्सर्जित हो जाती है।

आयोडीन अल्पता विकार से संबंधित विकार जैसे घेंघा, मानसिक विकृती, बहरापन-गूंगापन, भैगापन, शरीर के विकास में रुकावट मन्द बुद्धि और महिलाओं में गर्भपात होने की संम्भावना अधिक होती है।

भवदीय,

(एल थागेन)
निदेशक एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि: उपनिदेशक एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी सूचनार्थ प्रेषित।

परिशिष्ट ए.डी.

सूचना का अधिकार, अधिनियम– 2005

(सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 की धारा 4(1) 6(1) के अन्तर्गत)

सूचना चाहने के लिये आवेदन का प्रारूप

सेवामे,

लोक सूचना अधिकारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार नई दिल्ली–110001

1. आवेदक का नामः–लाधूराम तोषनीवाल
2. पता–राधाकृष्ण मन्दिर के पास, जाटाबास, महामन्दिर जोधपुर – 342006
3. सूचना की विशिष्टियां–

अ. उस विभाग/कार्यालय का नाम जिससे सूचना सम्बन्धित है ?
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली

ब. सूचना की प्रकृति–
स्वास्थ्य सम्बन्धी आयोडिन युक्त नमक के सम्बन्ध मे।

ग. सूचना के पूर्ण ब्यौरे

नमक साबूत (crystal) बेचने को किस आधार पर व कब बन्द किया गया है। क्या साबूत नमक पीसकर खाने से शरीर एवं स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का विपरित प्रभाव पडता है।

(1) आयोडाईज्ड नमक मे कितनी मात्रा मे आयोडीन होती है।
(2) आयोडीन नमक बेचने वालो के सेम्पल कब कब लिये जाते है।
(3) आयोडिन नमक मे कितनी मात्रा मे पी पी एम की मात्रा होती है।
(4) आयोडिन की मात्रा नमक मे अधिक या कम होने से शरीर पर कैसा असर पडता है।
(5) आयोडीन युक्त नमक नही खाने से शरीर पर कैसा प्रभाव पडता है।

उपरोक्त से सम्बन्धित सूचनायें उपलब्ध करवाये।

4. फीसः– 10 रूपये पोस्टल ऑर्डर रसीद संख्या 19F 527543 दिनांक 12.10.2013 संलग्न है।
5. यह हैं कि मेरे द्वारा चाही गई किसी भी गोपनीय सूचना से संबंधित धारा 5 मे अन्तर्विष्ट निर्बन्धन से संबंधित नही है।
6. यह है कि सूचना आवश्यक प्रकृति की है जो 15 दिन के भीतर उपलब्ध करवाये।

मै यह शपथकर्ता हूं चाही गई सूचना अधिनियम की धारा 5 मे अन्तविष्ट निर्बन्धन के अन्तर्गत नही आती।

स्थान–जोधपुर

दिनांकः–13.01.2014

आवेदक के हस्ताक्षर

Sd

नोटः–समस्त फोटो कॉपी का खर्चा जो विभाग द्वारा वहन किया जायेगा नियमानुसार प्रदान कर दिया जायेगा।

सेवामें,

श्रीमान् महामहिम राष्ट्रपति महोदय,
भारत सरकार

विषयः साबुत नमक (Crystal) बैचने में अधिकार को वापस दिलाये जाने बाबत्।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय में मुझ प्रार्थी लादुराम तोषनीवाल, नि॰—जोधपुर (राजस्थान) का निवेदन निम्न प्रकार है:—

1. यह कि मैं प्रार्थी वर्तमान में 85 वर्षीय बुजुर्ग होकर भारत देश का एक सिनियर सिटीजन जिम्मेदार नागरिक हूँ।
2. यह कि मैं भारत का एक सच्चा एवम् जारूक नागरिक होने के नाते महामहिम राष्ट्रपति आप की ध्यान भारत में व्याप्त एक घोर भष्ट्राचार जो सरकार जोने अनजाने कर प्रत्येक भारतीय नागरिक की जब पर भारी कुठराघात कर घोर भष्टाचार से जेबो भर डाका डाल रही है। पर आकृष्ठ करण चाहता हूँ।
3. यह कि इस विषय में मुझ प्रार्थी का महामहिम से निवेदन है कि भारत सरकार ने अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अनुसार सीधे माननीय उपभोग के लिये साधारण नमक की बिक्री पर प्रतिबंध है और भारत सरकार ने 1984 में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सम्पूर्ण खाद्य नमक को आयोडिन युक्त करने का नितिगत निर्णय लेकर साधारण किस्ट्रल नमक पर प्रतिबन्ध मल्टीनेशनल एवं अन्तराष्ट्रीय दबावों में आकर लगा दिया गया है जो पूर्णतया न्यायोचित नहीं होकर भष्ट्राचार को बढ़ावा दे रहा है।
4. यह कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश होकर नमक (किस्ट्रल) के उत्पादन के क्षेत्र में सदियों से आत्मनिर्भर होकर कृषि क्षेत्र में किसानों के उन्नत जीवन व्यापन का एक जरिया सनातन युग ले रहा है। भारत सरकार के वर्ष 2006 में साधारण नमक पर प्रतिबंध लगाकर भारत के आम व्यक्ति को मँहगा और आयोडिन युक्त नमक के उपयोग करने को बाध्य किया गया हैं, वर्तमान में निर्मित विभिन्न मल्टीनेशनल कम्पनियों द्वारा निर्मित आयेाडिन युक्त नमक विभिन्न जाँच मानकों पर खरा नहीं उतरता है और आय मनव जीवन को खतरनाक भयावह बिमारियों की और धकेल रहा है। आम व्यक्ति को अपने जीवन में यह स्वतन्त्र अधिकार है कि वह अपने जीवन को चुस्त दुरस्त बनाने में लिये किन चीजों का उपयोग उपभोग ककर की स्वतन्त्रता पर यह प्रतिबन्ध संविधान में प्रावधान स्वतंत्रता से जीवन व्यापन करने का उल्लधंन

लादुराम तोशनीवाल

करता है भारी मात्रा में डाका प्रतिदिन हर समय वर्षों से आम आदमी की जेब पर डाल रहा है और हमारे देश में विकास में बाधक बन रहा है। और भष्ट्राचार को बढ़ावा दे रहा है।

ज्ञापन प्रेषित कर मुझ प्रार्थी को सादर अनुग्रह है कि इस विषय पर मैं व्यक्तिशः श्रीमान् के सम्मुख उपस्थित होकर अपने विचार आप तक पहुँचाना चाहता हूँ अतः श्रीमान् मेरे इस ज्ञापन पर निगाह कर मुझ प्रार्थी को इस विषय पर प्रकाश डालने का समय देकर की अनुकम्पा करावें।

अतः श्रीमान् महामहिम महोदय को मुझ प्रार्थी का यह ज्ञापन प्रेषित कर निवेदन है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जो सनातमन युग से नमक (किस्टल) के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर रहा है तथा कृषकों के जीवन को उन्नत बनाने का माध्यम रहा है पर मल्टीनेशनल कम्पनियों के दबाव में वर्ष 2006 में मो. प्रतिबन्ध लगाया गया है को भारत सरकार तत्काल प्रभाव से हाटकर भारत के संविधान के प्रावधानों की पालना में भारत के आम नागरिक के जीवन यापन में उपयोग (क्या खाना है क्या नहीं खाना है) की स्वतन्त्रता के अधिकार को पुनः दिलावे तथा देश मे इस नमक के नाम पर आम आदमी के जेबो पर भारी भरकम डाका डाल व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकश लगावें।

दिनांक– 26/7/2023.

स्थान– उदयपुर (राज.)

विनीत

लाधुराम तोषनीवाल

लाधुराम तोषनीवाल
C/o एडवोकेट कमलेश चौबीसा
138, एल–ब्लॉक, इन्दिरा नगर,
सेक्टर–14, उदयपुर (राज.)
मो. 9413742077
7726906436

प्रतिलिपीः–

1. प्रधानमंत्री, भारत सरकार
2. लोकसभा अध्यक्ष
3. राज्यसभा अध्यक्ष
4. सी.जे.सुप्रिम कोर्ट, सी.जे.आई. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया
5. महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान–सरकार
6. मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार
7. हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर
8. विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान सरकार

सेवामें,

श्रीमान् महामहिम राष्ट्रपति महोदय,
भारत सरकार

विषयः साबुत नमक (Crystal) बैचने में अधिकार को वापस दिलाये जाने बाबत्।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय में मुझ प्रार्थी लादुराम तोषनीवाल, नि॰–जोधपुर (राजस्थान) का निवेदन निम्न प्रकार है:–

1. यह कि मैं प्रार्थी वर्तमान में 85 वर्षीय बुजुर्ग होकर भारत देश का एक सिनियर सिटीजन जिम्मेदार नागरिक हूँ।
2. यह कि मैं भारत का एक सच्चा एवम् जारूक नागरिक होने के नाते महामहिम राष्ट्रपति आप की ध्यान भारत में व्याप्त एक घोर भष्ट्राचार जो सरकार जोने अनजाने कर प्रत्येक भारतीय नागरिक की जब पर भारी कुठराघात कर घोर भष्टाचार से जेबो भर डाका डाल रही है। पर आकृष्ठ करण चाहता हूँ।
3. यह कि इस विषय में मुझ प्रार्थी का महामहिम से निवेदन है कि भारत सरकार ने अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अनुसार सीधे माननीय उपभोग के लिये साधारण नमक की बिक्री पर प्रतिबंध है और भारत सरकार ने 1984 में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सम्पूर्ण खाद्य नमक को आयोडिन युक्त करने का नितिगत निर्णय लेकर साधारण क्रिस्ट्रल नमक पर प्रतिबन्ध मल्टीनेशनल एवं अन्तराष्ट्रीय दबावों में आकर लगा दिया गया है जो पूर्णतया न्यायोचित नहीं होकर भष्ट्राचार को बढ़ावा दे रहा है।
4. यह कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश होकर नमक (किस्ट्रल) के उत्पादन के क्षेत्र में सदियों से आत्मनिर्भर होकर कृषि क्षेत्र में किसानों के उन्नत जीवन व्यापन का एक जरिया सनातन युग ले रहा है। भारत सरकार के वर्ष 2006 में साधारण नमक पर प्रतिबंध लगाकर भारत के आम व्यक्ति को मँहगा और आयोडिन युक्त नमक के उपयोग करने को बाध्य किया गया हैं, वर्तमान में निर्मित विभिन्न मल्टीनेशनल कम्पनियों द्वारा निर्मित आयोडिन युक्त नमक विभिन्न जाँच मानकों पर खरा नहीं उतरता है और आय मनव जीवन को खतरनाक भयावह बिमारियों की और धकेल रहा है। आम व्यक्ति को अपने जीवन में यह स्वतन्त्र अधिकार है कि वह अपने जीवन को चुस्त दुरस्त बनाने में लिये किन चीजों का उपयोग उपभोग ककर की स्वतन्त्रता पर यह प्रतिबन्ध संविधान में प्रावधान स्वतंत्रता से जीवन व्यापन करने का उल्लधंन

लादुराम तोषनीवाल